

पत्र संख्या : 7ब/2701 गै०यो० ज०सं० 04/12..... 239

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 21-8-13

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	29.881

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये उन्तीस लाख अठासी हजार एक सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 8890.52 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 56.34 लाख सहित कुल ₹ 8946.86 लाख (नवासी करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(एस०के०सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

239

रॉची, दिनांक :- 21-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/मधुपुर/चाईबासा/साहेबगंज/जामताड़ा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

239

रॉची, दिनांक :- 21-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट 1 पत्रांक 239 दिनांक 24/3/13 का अनुलग्नक

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013		विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं भत्ते										विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वैतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वैतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विरुद्ध व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	मुख्य अभि०, अग्रिम योजना, रैंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	15.000 -7.000 8.000	9.000 -5.070 3.930	24.000 -12.070 11.930	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 -1.000 0.000	0.850 0.000 0.850	0.000 0.000 0.000	1.000 0.000 1.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.250 0.100 1.350	0.000 0.000 0.000	28.200 -12.970 15.230													
2	अग्रिम योजना अंचल रैंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	11.300 0.000 11.300	7.000 0.000 7.000	18.300 0.000 18.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.600 0.100 0.700	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.140 0.000 0.140	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 0.300 1.300	0.000 0.000 0.000	20.790 0.400 21.190													
3	जलपथ अंचल, रैंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	120.000 0.000 120.000	70.490 0.000 70.490	190.490 0.000 190.490	0.190 0.000 0.190	0.000 0.000 0.000	4.087 0.000 4.087	0.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.800 -0.368 0.432	0.000 0.000 0.000	196.917 -0.368 196.549													
4	जलपथ अंचल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	75.000 0.000 75.000	37.000 0.000 37.000	112.000 0.000 112.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.050 0.000 1.050	0.700 0.100 0.800	0.000 0.000 0.000	0.700 0.000 0.700	0.200 0.000 0.200	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	1.000 0.468 1.468	0.000 0.000 0.000	115.950 0.568 116.518													
5	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	47.000 1.000 48.000	35.420 0.800 36.220	82.420 1.800 84.220	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.276 0.000 1.276	0.600 0.100 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.150	0.175 0.000 0.175	0.100 0.000 0.100	1.000 0.000 1.000	0.050 0.000 0.050	85.771 1.900 87.671													
6	सिंचाई अंचल, मधुपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	41.000 -4.500 36.500	25.580 0.000 25.580	66.580 -4.500 62.080	0.000 0.000 0.000	0.050 -0.050 0.000	2.911 0.000 2.911	0.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.150	0.175 0.000 0.175	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	71.266 -4.550 66.716													
7	अग्रिम योजना प्र०, रैंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	71.000 -3.060 67.940	43.000 0.000 43.000	114.000 -3.060 110.940	0.000 0.000 0.000	0.100 -0.100 0.000	0.200 0.200 0.400	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 -0.019 0.031	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.200 -0.200 0.000	0.000 0.000 0.000	115.250 -3.179 112.071													
8	अग्रिम योजना प्र० साहेबगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	17.000 -6.750 10.250	11.000 -8.320 2.680	28.000 -15.070 12.930	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.702 0.000 0.702	0.500 -0.310 0.190	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 -0.300 0.100	0.000 0.000 0.000	29.602 -15.680 13.922													
9	गंगा पम्प नहर प्रमंडल , साहेबगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	121.370 1.000 122.370	79.490 0.000 79.490	200.860 1.000 201.860	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	2.440 0.000 2.440	0.500 0.000 0.500	0.260 0.000 0.260	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.575 0.000 0.575	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	204.935 1.000 205.935													
10	जलपथ प्रमंडल सं.-2, चक्रधरपुर शिविर - चार्डबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	82.000 0.000 82.000	49.000 0.000 49.000	131.000 0.000 131.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	1.016 0.520 1.536	0.500 0.160 0.660	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.525 0.000 0.525	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	133.291 0.680 133.971													

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निराम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

